न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०— 122 /2018

धारा—107 द०प्र०सं०

सेफाली देवी बनाम फुची मंडल वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०—एम. 122/2018, में द०प्र०सं० की धारा—107 के तहत थाना प्रभारी, सोनाहातु के आपराधिकी सं०— 28/18 दिनांक—09-09-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि सोनाहातु थाना काण्ड सं० 39/18 दिनांक 13-08-18 धारा 341/323/354 भा०द०वि० को लेकर उभय पक्ष में विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा—107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बंध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नही दिया जाय। अभिलेख तिथि 12/10/18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।	

पृष्ठ सं०..................

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	लिया गया तथा हाजरी में दर्ज किया गया। प्रथम पक्ष हाजरी हेतु दिनांक 07-06-19 को रखें। (हस्ताक्षर) 1?/05/19	
07-06-19	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। (हस्ताक्षर) 7/6/19	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.26 15:10:09 +05:30
Location: 10.93.79.5